(81)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मं.

भोपाल

निग 4233-PBR/16

182
16-12-16

श्री महेश सिंह राजपूत आयु करीब 55 वर्ष
आत्मज स्व. श्री धीरज सिंह निवासी–ग्राम बैहराखेड़ी
तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद———————————————याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमति पन्नीबाई आयु करीब 75 वर्ष
   पत्नि स्व. श्री धीरज सिंह
   निवासी–ग्राम बैहराखेड़ी
   तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद

2. श्रीमति उर्मिलाबाई पत्नि श्री सूरज सिंह राजपूत
   निवासी–ग्राम बमूरिया तहसील व जिला होशंगाबाद———————————उत्तरवादीगण

16/12/16

पुर्नविलोकन याचिका अंतर्गत धारा–51 म.प्र.भू.रा.संहिताः–

याचिकाकर्ता यह पुर्नविलोकन याचिका न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 3804–पी.बी.आर./2016 विरूद्व आदेश दिनांक 07/12/2016 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है।

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

एक निगरानी याचिका याचिकाकर्ता ने न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की थी। उक्त याचिका नायब तहसीलदार डोलरिया जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.63–अ/06–ए वर्ष 2015–16 में दिनांक 21/10/2016 को पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी जिसमें श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा उक्त याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि आवेदक को दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर तहसील न्यायालय में उपलब्ध है अतः इस निगरानी को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी आधारहीन होने से समाप्त की जाती है। उक्त निगरानी याचिका क्र. 3804–पी.बी.आर./2016 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2016 के विरूद्व यह पुर्नविलोकन याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4233–पीबीआर/16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–2–2017	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर सुना गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7–12–2016 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3804–पीबीआर/16 में पारित आदेश दिनांक 7–12–2016 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनीज गोयल) अध्यक्ष	